

चतुर्थ अनुसूची {नियम 24 (5) (क) (4)}

(प्रपत्र-425-ख)

(समूह "घ" के सरकारी सेवकों के लिए)

भाग-1

सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष धनराशि के अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र।  
सेवा में,

.....  
.....  
..... ।  
(लेखा अधिकारी)

महोदय,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हूँ/सेवानिवृत्त हो गया/गयी हूँ.....मास के लिए सेवानिवृत्त पूर्व छुट्टी पर चला गया/गयी हूँ। मैंने सरकारी सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है और मेरा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया है .....के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवामुक्त/पदच्युत कर दिया गया/गयी हूँ।

(2) मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में मेरे जमा खाते की सम्पूर्ण धनराशि का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिए कृपया प्रबन्ध किया जाय।

(3) मेरा भविष्य निधि लेखा संख्या.....है। मैं आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से भुगतान लेने का इच्छुक हूँ।

(4) भविष्य निधि लेखा में मेरे द्वारा वित्त पोषित निम्नलिखित जीवन बीमा पॉलिसियों को नियुक्ति किया जाय:-

| क्र० सं० | पॉलिसी संख्या | भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा के नाम | बीमा की धनराशि |
|----------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| 1.       |               |                                      |                |
| 2.       |               |                                      |                |
| 3.       |               |                                      |                |
| 4.       |               |                                      |                |

स्थान.....

भवदीय

दिनांक.....

(हस्ताक्षर)

नाम.....

पता.....

## भाग-2

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में जो अतिशेष अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र (नामांकितियों द्वारा या जहाँ कोई नामांकन नहीं तो अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए)। सेवा में,

.....  
.....  
..... ।

(लेखा अधिकारी)

महोदय,

यह अनुरोध किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... के सामान्य भविष्य निधि लेखा में संचित धनराशि नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस(यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिए प्रबन्ध किया जाय। इस सम्बन्ध में विवरण नीचे दिये गये हैं :-

1. सरकारी सेवक का नाम.....
2. सरकारी सेवक द्वारा घृत पद.....
3. मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करें).....
4. भविष्य निधि लेखा संख्या.....

(5) अभिदाता के नियम-2 में यथा परिभाषित परिवार के सदस्यों का ब्यौरा :-

| क्र० सं० | नाम | अभिदाता से सम्बन्ध | अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को आयु | अभिदाता की पुत्री या अभिदाता के मृत पुत्र की पुत्री की स्थिति उल्लिखित करें कि वह अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को अविवाहित थी या विवाहित थी/विधवा थी। |
|----------|-----|--------------------|------------------------------------|--|
| 1        | 2   | 3                  | 4                                  | 5  |
| 1.       |     |                    |                                    |  |
| 2.       |     |                    |                                    |  |
| 3.       |     |                    |                                    |  |
| 4.       |     |                    |                                    |  |
| 5.       |     |                    |                                    |  |

(6) अभिदाता के मृत्यु की दिनांक को जीवित नामांकितियों का ब्यौरा यदि नामांकन हो :-

| क्र०सं० | नामांकितों का नाम | अभिदाता से सम्बन्ध | नामांकितों का अंश | दावा के कारण, यदि नामांकिनी अभिदाता के परिवार का सदस्य न हो |
|---------|-------------------|--------------------|-------------------|---|
| 1       | 2                 | 3                  | 4                 | 5   |
| 1.      |                   |                    |                   |   |
| 2.      |                   |                    |                   |   |
| 3.      |                   |                    |                   |   |
| 4.      |                   |                    |                   |   |

(7) ऐसे अवयस्क बालक का जिसकी माँ (अभिदाता की विधवा) हिन्दू न हो देय धनराशि के मामले में दावा यथास्थिति, क्षतिपूर्ति, बंध-पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए।

(8) यदि अभिदाता का कोई परिवार न हो और कोई नामांकन न हो तो ऐसे व्यक्तियों के नाम जिन्हें भविष्य निधि की धनराशि देय हो (जिस प्रोबेट पत्र या उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र आदि द्वारा समर्थित किया जायेगा।)

| क्र०सं० | नाम | अभिदाता से सम्बन्ध | पता |
|---------|-----|--------------------|-----|
| 1       | 2   | 3                  | 4   |
| 1.      |     |                    |     |
| 2.      |     |                    |     |
| 3.      |     |                    |     |
| 4.      |     |                    |     |

(9) दावेदार/दावेदारों का धर्म.....

(10) भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से वांछित है। इस सम्बन्ध में किसी सेवारत राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं :-

1. अभिज्ञान के वैयक्तिक चिन्ह
2. बायाँ/दायाँ हाथ का अँगूठा और उँगली का निशान (अशिक्षित दावेदारों के मामले में)
3. नमूने के हस्ताक्षर, (शिक्षित दावेदारों के मामले में)

स्थान.....  
दिनांक.....

भवदीय  
(दावेदार/दावेदारों का हस्ताक्षर)  
पूरा नाम और पता

**(आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपयोग के लिए)**

1. श्री/श्रीमती.....का भविष्य निधि/लेखा संख्या.....है।
2. वह सेवानिवृत्त हो गया/गयी है/सेवानिवृत्त होगा/होगी.....मास के लिये सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया/चली गयी है उसने सरकारी सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है और उसका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया है। उसने दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया है।
3. ....रूपये की अन्तिम निधि कटौती और अग्रिम की वापसी के लिए.....रूपये की वसूली उसके वेतन से.....कोषागार से.....रूपये के बाउचर संख्या.....दिनांक.....से किया गया था और उसे उपर्युक्त बाउचर के साथ संलग्न.....रूपये की सामान्य भविष्य निधि अनुसूची से सम्मिलित किया गया।
4. प्रमाणित किया जाता है कि उसे चालू तथा पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में न तो कोई अस्थायी अग्रिम स्वीकृत किया गया और न उसके भविष्य निधि लेखे से कोई अन्तिम प्रत्याहरण किया गया था।

या

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित अन्तिम प्रत्याहरण या अन्तिम अस्थायी अग्रिम उसको स्वीकृत किये गये थे और चालू पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान उसके भविष्य निधि लेखा से प्रत्याहृत किये गये थे।

क-अन्तिम प्रत्याहरण

| क्र० सं० | प्रत्याहरण की धनराशि | आहरण का दिनांक | बाउचर संख्या | कोषागार का नाम | लेखा शीर्षक |
|----------|----------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| 1.       |                      |                |              |                |             |
| 2.       |                      |                |              |                |             |
| 3.       |                      |                |              |                |             |
| 4.       |                      |                |              |                |             |

ख-अस्थायी अग्रिम

| क्र० सं० | अग्रिम की धनराशि | आहरण का दिनांक | बाउचर संख्या | कोषागार का नाम | लेखा शीर्षक | मास और वर्ष जिसमें वसूली पूरी हुई |
|----------|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| 1.       |                  |                |              |                |             |                                   |
| 2.       |                  |                |              |                |             |                                   |

5. प्रमाणित किया जाता है कि बीमा कि किस्त के भुगतान के लिए चालू और पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के दौरान उसके भविष्य निधि लेखा से कोई धनराशि प्रत्याहृत नहीं की गयी/निम्नलिखित धनराशि प्रत्याहृत की गयी।

| क्र०सं० | धनराशि | आहरण का दिनांक | बाउचर संख्या | कोषागार का नाम | लेखा शीर्षक |
|---------|--------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| 1.      |        |                |              |                |             |
| 2.      |        |                |              |                |             |

6. दिनांक.....(वह दिनांक जब धनराशि देय हो गयी) को उनके सामान्य भविष्य निधि पासबुक में गया अतिशेष जिसके अन्तर्गत उस दिनांक तक देय ब्याज और बोनस(यदि कोई हो) भी है। संलग्नक परिकलन शीट के तहत ₹.....(अंकों में) .....(शब्दों में) है और उपर्युक्त अतिशेष की 90 प्रतिशत.....रूपया है।

7. प्रमाणित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित कोई वसूली उसमें नहीं की जानी है। अतएव ₹.....(अंकों में).....(शब्दों में) और जो अभिदाता को या यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/दावेदारों को करने की संस्तुति की जानी है :-

या

सामान्य भविष्य निधि सम्बन्धित से निम्नलिखित वसूलियाँ अभिदाता से की जाती है।

| क्र०सं० | वसूलियों का विवरण | धनराशि |
|---------|-------------------|--------|
| 1.      |                   |        |
| 2.      |                   |        |
| 3.      |                   |        |
| 4.      |                   |        |
|         |                   | योग    |

ऊपर वर्णित वसूलियों के मुद्दे.....रूपये की धनराशि की कटौती करने के पश्चात् अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पास-बुक के अतिशेष केवल 90 प्रतिशत में से..... अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दावेदारों का नाम को..... ₹(अंकों में).....(शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है।

8. अभिदाता की मृत्यु दिनांक..... को हुई मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न है।  
9. (परिकलन शीट दो प्रतियों में) और शेष धनराशि के भुगतान के आवेदन-पत्र सहित .....को अग्रसारित।

दिनांक.....

आहरण एवं वितरण अधिकारी का  
हस्ताक्षर एवं मोहर

### जाँचकर्ता लेखा प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए

1. प्रमाणित किया गया कि मैंने संलग्न परिकलन शीट और उपर्युक्त गणनाओं की जांच कर ली है जो सही है।
2. ₹.....(अंकों में).....(शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है।
3. ....(स्वीकृत प्राधिकारी) को अग्रसारित।

दिनांक.....

जाँचकर्ता लेखा प्राधिकारी का  
हस्ताक्षर एवं मोहर

### स्वीकृत अधिकारी द्वारा उपयोग के लिए

1. ....(अभिदाता का यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/दावेदारों का नाम) को .....₹(अंकों में).....(शब्दों में) का भुगतान स्वीकृत किया गया।
2. शेष धनराशि के भुगतान का आवेदन-पत्र तथा परिकलन शीट और सामान्य भविष्य निधि पास-बुक महालेखाकार (लेखा व हकदारी) एक/दो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को अग्रसारित किया गया। सामान्य भविष्य निधि पास-बुक भुगतान प्राधिकृत करने के पश्चात् आहरण एवं वितरण अधिकारी को वापस किया जाय।